सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व अपील संख्या – 14 / 2012

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. जयनारायण पुत्र स्व.माधू जाति मीणा निवासी ग्राम नाईखेडा तहसील केकड़ी जिलाअजमेर

अपीलान्टी

बनाम

1. बद्री पुत्र माधु जाति मीणा
2. परसराम पुत्र बद्री जाति मीणा
3. दामोदर पुत्र बद्री जाति मीणा
4. श्रीमति पन्नी पत्नि मोरपाल जाति मीणा
5. कल्याण पुत्र मोरपाल जाति मीणा
6. नारायण पुत्र मोरपाल जाति मीणा
7. रणजीत पुत्र मोरपाल जाति मीणा
8. शान्ति पुत्री मोरपाल जाति मीणा
9. श्रीमति संजू पत्नि कैलाश जाति मीणा
10. काना पुत्र कैलाश जाति मीणा
11. पार्वती पुत्री कैलाश जाति मीणा
12. तीजा पत्नि पांचू जाति मीणा
13. किशन गोपाल पुत्र पांचू जाति मीणा
14. हनुमान पुत्र पांचू जाति मीणा
15. भवाना पुत्र पांचू जाति मीणा उपरोक्त सभी निवासीगण नाईखेडा तह. केकडी जिला अजमेर
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी
17. ग्राम ंपचायत मोलकिया संरपच महोदया श्रीमति रामप्यारी देवी
18. प्रेमचन्द रेगर पुत्र किस्तुरा जाति रेगर ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

रेसपोडेंटस

अपीलपत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान ले.रेवेन्यु

निर्णय

दिनांकः–25.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार **केम्प मोलकिया** में पेश हुई। वादी / प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत ध**ारा अपील प्रार्थना पत्र धारा** राज.ले.रेव0.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नाईखेडा में अपीलान्टी के कब्जे काश्त खातेदारी आराजीयात के खाता स. 18 के कुल किता खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 4.17 है। उक्त खसरा नम्बर अपीलान्टी कब्जे काश्त है। किस्तुरा के जीवनकाल से ही अपीलान्टी के कब्जे काश्त चला आ रहा है। किस्तुरा की मृत्यु दिनांक 7.10.2004 को हो गयी। जिसके कारण लिखित गोदनामा व वसीयत नही लिख कर गया । ग्राम पंचायत मोलकिया सरंपच की मिलिभगत से गलत सजरा बनाकर नामान्तकरण स. 394 दिनांक 25.5.2012को खोला गया जिसे अपीलान्टी द्वारा निरस्त किया जाना चाहा है। अपील में पैरा 7 में सजरा अंकित किया है। अपीलान्ट के पिता माधु के पिता का नाम लच्चा था लच्चा का दुसरा भाई हीरालाल था जिसके एक पुत्र लादू जो नाओलाद फोत हो गया था एवं किस्तुरा भी नाओलाद फोत हो गया थां । जिस कारण विधिवत नामान्तकरण नही खोला गया। उक्त फर्जी नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी स. 1 से 5 ,7,9 से 11 , व 14 से 15 की और से अधिवक्ता श्री अशोक पालीवाल एंव प्रतिवादी स. 6,8,12,13, की और से वकील श्री मुकेश गुर्जर ने पावर पेश किया । पत्रावली में जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया एंव बहस हेतु अन्तिम मौका दिया गया।

पत्रावली केम्प कोर्ट मोलकिया में पेश हुये । जहां उपस्थित पक्षकारान को सूना गया। अपीलान्टी की अपील स्वीकार पत्रावली के दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर हुआ है । जिससे अपील पत्र का संतुलन अपीलान्टी के पक्ष में होना जाहिर होता है ।

अतः अपीलाटीं की अपील स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम नाईखेडा में अपीलान्टी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजीयात के के पूर्व नामान्तकरण स. 394 दिनांक 25.5.2012 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार केकडी को निर्देशित किया जाता है कि अपील में वर्णित आराजी के क्रम में पक्षकारान का पुनः सुनवायी का समुचित अवसर देकर विधिसम्मत पुनः नामान्तरण की विधिवत कार्यवाही कर पालना न्यायालय में हाजा में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 25.5.2018 को केम्प कोर्ट में पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी